



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.)

Ph- : 0751-2970519

E-mail- registrar@rvskvv.net

कुलसचिव

क्र./कु.स./स्था.दो/2025-26/686

दिनांक: 06-06-2025

// आदेश //

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कार्यालय/महाविद्यालय में पदस्थ निम्नलिखित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये नवीन पदस्थापना स्थल पर समान सामर्थ्य में स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री संजय चौधरी, उपयंत्री (सिविल)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, खण्डवा
2.	श्री आशीष मिश्रा, उपयंत्री (सिविल)	कृषि महाविद्यालय, इंदौर	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर
3.	श्री प्रकाश वास्केल, उपयंत्री (सिविल)	कृषि महाविद्यालय, खण्डवा	कृषि महाविद्यालय, इंदौर
4.	श्री महेन्द्र जोशी, उपयंत्री (सिविल)	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, सीहोर
5.	श्री किशोर कुमार वाल्के, उपयंत्री (सिविल)	कृषि महाविद्यालय, सीहोर	उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार)

कुलसचिव

दिनांक: 06-06-2025

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.दो/2025-26/687

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/सीहोर एवं खण्डवा।
5. अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर।
6. उप/सहायक कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी.....।
8. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
9. व्यक्तिगत सुरक्षा नस्ती।

कुलसचिव

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री अब्दुल रसूलिया S/O श्री राकेश रसूलिया, मकान नं. एच-76 मोहिनी सागर कॉलोनी वार्ड नं. 31 शिवपुरी-473551 (एम.पी.)को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (विभागाध्यक्ष पद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जा रही है। परीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नही पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

Handwritten signature

12

DIRECTORATE OF RESEARCH SERVICES
JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHVA VIDYALAYA, JABALPUR

No.DRS/Estt./87/ 9756/

Dated 26/3/1987.

O R D E R

Consequent upon withdrawal of the post of field assistant by the ICAR under various projects the surplus staff is transferred in their own capacity & posted as shown against each :-

S.No.	Name of the person.	Posting.
1.	Shri A. Chaturvedi, Tikamgarh.	to millets project, Gwalior.
2.	Shri P. Ingle, Indore.	to millets project Mandasaur.
3.	Shri Phatah Singh, Indore.	to pulse project, Bargarh vice Shri S.K. Vyas who is transferred & posted under NSP (Vegetable) Jabalpur (at his own cost).
4.	Shri R.K. Keshre, Khandwa.	to Indo-German, Hards, Vice Shri P.S. Pare, who is transferred & posted under parvanala, Bhore (at his own- request)
5.	Shri M.L. Chauhan, Khandwa.	to ECF, Sch. Dhar, Vice Shri A.K. Chauhan
6.	Shri A.K. Chauhan, Dhar to	ECF Sch. Narsinghpur Vice Shri S.C. Karandiker who is transferred & posted under Germplasm Management (Oilseed Proj.) Scheme, Jabalpur at his own request.

The above persons shall draw their salary at their original place & shall be relieved only on or after 1.4.87.

Sd/-G.P. VERMA
DIRECTOR RESEARCH SERVICES.

Office of the Associate Director Research,
College of Agriculture, Gwalior.

Endt. No. ADR/Estt./87/ 987

Date 13/4/87

Copy to :-

1. The Pay bill counter for necessary action.


ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH

2

no. building/bstt/1624 Dated 2nd, January 1984.

M M M M M

In accordance with the order no. building/bstt/1624 dated 30.12.83, Smt. Jashree Wafde, L.D.C. is hereby relieved from her duties on this day of 2nd, January 1984, (P.M.) she is directed to report for duty to the Executive Engineer, J.K.A.V.V. College of Agriculture, Gwalior.

WNT
Executive Engineer
J.K.A.V.V. J_A_B_A_L_P_U_R

no. building/bstt/1624 Dated 2nd January '84.

Copy forwarded for information and A/c.

1. The Superintendent Physical Plant, J.K.A.V.V. Jabalpur.
2. The Executive Engineer, J.K.A.V.V. College of Agriculture, Gwalior.
3. Smt. Jashree Wafde, L.D.C.
4. Bill incharge counter/works, J.K.A.V.V. Jabalpur.

WNT
EXECUTIVE ENGINEER



डॉ. अजय कौशल
कुलसचिव

कार्यालय कुलसचिव
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.)

E-mail- registrar@rvskvv.net

क्र. / कु.स. / भपप्र / अनु. / 2025-26 / 25 20

दिनांक : 16/10/2025

// आदेश //

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रं.सी. 3-12/ 2016/1/3, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रं. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, मैकेनिक, कृषि महाविद्यालय, खण्डवा का दिनांक 16.04.2021 को आकस्मिक निधन होने के कारण इनके पुत्र श्री आयुष मिश्रा की अनुकम्पा नियुक्ति अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 के पद पर उपस्थिति दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाकर उनकी पदस्थापना कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत C-1(5) Soil Testing Scheme में की जाती है। इनका वेतनमान लेवल-4 (रु. 19500-62000) (पूर्ववर्ती 6वे वेतनमान अनुसार 5200-20200+ ग्रेड पे 1900) होगा तथा परिवीक्षा अवधि में वेतनमान के न्यूनतम की प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान अनुसार वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार हैं-

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. पूर्व में प्रस्तुत शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति देने के समय आपको यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं हैं, और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में कार्यरत है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे।
उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र (फिटनेस) एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा। यदि बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित होता है कि उसके द्वारा परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।

Contd... 02



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे शिंदिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था./स्थानां./2018/1593


दिनांक: 31/7/2018

// आदेश //

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री डी.के. प्रधान, सहायक वर्ग-1 कार्यालय निदेशक विस्तार सेवायें, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर को अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर एवं श्री उपेन्द्र सिंह तोमर, सहायक वर्ग-1 कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर को कार्यालय निदेशक विस्तार सेवायें, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अधीन स्थानांतरित कर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


कुलसचिव 31/7/18

दिनांक: 31/7/2018

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था./स्थानां./2018/1594
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. निदेशक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. निदेशक विस्तार सेवायें, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. सह संचालक अनुसंधान (निदेशक प्रक्षेत्र), रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
7. लेखानियंत्रक, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. उप कुलसचिव, (स्थापना) रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
9. श्री डी.के. प्रधान, सहायक वर्ग-1 कार्यालय निदेशक विस्तार सेवायें, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
10. श्री उपेन्द्र सिंह तोमर, सहायक वर्ग-1 कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
11. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
12. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव 31/7/18



श्री धीरेन्द्र सिंह मदीरिया कृषि विस्तार अधिकारी, आंचलिक कृषि अनुसंधान

120-23 02

SM

स्था.दो/बी/132-5/2008/

दिनांक /03/2008

आदेश

श्री धीरेन्द्र सिंह मदीरिया, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना को समान पद एवं वेतनमान में अस्थाई रूप से आयागी आदेश तक तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक 24/03/2008

स्था.दो/बी/132-5/2008/ 312

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अश्रेणित :-

1. संचालक अनुसंधान सेवाएँ, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
3. सह-संचालक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना।
4. लेखावियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. अनुभाग अधिकारी, सांस्थान्य शाखा/भविष्य निधि/बजट एवं वित्त/गोपनीय/ ज.ने. कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. श्री धीरेन्द्र सिंह मदीरिया, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना।
7. सुरक्षा नसी।

A R Moleporna
H. K. K. K. K. K.

सहायक कुलसचिव (स्था.)

16EAN08
College of Agriculture
Gwalior

// आदेश //

श्री धीर सिंह सिकरवार आताज श्री कोक सिंह सिकरवार को चयन समिति की अनुशंसानुसार प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 4000-1000-6000/- पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है।

2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होगी :-

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जाँचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश की प्रसारित होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना शक्त पर उपस्थिति दें, अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वयंसेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा पर की जा रही है। दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि समाप्ति पर कार्यो के मूल्यांकन के आधार पर परीवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात् ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परीवीक्षा काल अवधि में प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल: टस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं विकलांग प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा उसका वेतन आह्वित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय सतिधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेना होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के अंदर वि.वि. द्वारा देय नियत मासेक चिकित्सा मत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जावेगी।
- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी ईकाई/योजना में स्थानांतरित की जा सकेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (क्रमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

सही
कुलसचिव

दिनांक 07/07/2007

पुर्ण. क्रमांक स्था.दो/07(1)/प्रा.सि/42
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित :-

1. संचालक अनुसंधान सेवायें, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर। कृपया श्री धीर सिंह सिकरवार का वेतन बजट शीर्ष C-1-3 Regional Research Station, Gwalior में उपलब्ध प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध आह्वित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. सहायक लेखानियंत्रक भाषिया निधि/ बजट एवं वित्त/पेंशन/ गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सहायक कुलसचिव (साधारण), ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. संबंधित व्यक्ति श्री धीर सिंह सिकरवार आताज श्री कोक सिंह सिकरवार, कोंब (कुओं वाली गली), बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.)। कृपया पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग से कार्यमुक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
7. व्यवहारात्मक नरती/सूचना नरती।

सहायक कुलसचिव (स्था.दो)



अनिल राक्सैना
कुलसचिव

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.)

Phone : 0751-2970519

E-mail- registrar@rvskvv.net

क./कु.स./RPC/अनुकम्पा/2024-25/4077

दिनांक: 26-03-2025

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत् स्व. श्री आर.के. शर्मा, सहायक वर्ग-2, कृषि प्रक्षेत्र कार्यालय, कृषि महाविद्यालय, इंदौर का आकस्मिक निधन दिनांक 16.01.2015 को होने के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री गौरव राजौरा की अनुकम्पा नियुक्ति विश्वविद्यालय के आदेश क्र./कु.स./स्था.दो/2016/3426-3427 दिनांक 27.01.2016 के द्वारा अनारक्षित वर्ग में सहायक वर्ग-3 पद पर की गई थी। उक्त आदेश की शर्त कंडिका 04 का पालन न करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के पत्र क्र./कु.स./स्था.-दो/2024-25/713 दिनांक 07.06.2024 के क्रम में शपथ पत्र प्रस्तुत न करने के कारण श्री राजौरा की अनुकम्पा नियुक्ति दिनांक 11.06.2024 को स्वतः समाप्त हो गई थी।

तदुपरांत श्री गौरव राजौरा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में दायर रिट याचिका क्र. 19105/2024 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2024 तथा रिट याचिका क्र. 29756/2024 एवं 29435/2024 में पारित आदेश 27 फरवरी, 2025 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में तथा श्री राजौरा से प्राप्त शपथ-पत्र दिनांक 12.03.2025 के आधार पर म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत् स्व. श्री आर.के. शर्मा, सहायक वर्ग-2, कृषि प्रक्षेत्र कार्यालय, कृषि महाविद्यालय, इंदौर का आकस्मिक निधन दिनांक 16.01.2015 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री गौरव राजौरा की अनुकम्पा नियुक्ति मृत्यु के पद पर पे बैंड रू. 4440-7440+1300 (7वां वेतनमान लेवल-1) में अनारक्षित वर्ग में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्नलिखित शर्तों एवं नियमों के अधीन की जाकर पदस्थापना उनके उपस्थिति दिनांक से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर द्वारा रिट याचिका क्र. 29756/2024 में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी, 2025 द्वारा दिये गये निर्देश के परिपालन में श्री गौरव राजौरा की सहायक ग्रेड-3 पद की पूर्व सेवा में उपस्थिति दिनांक 01.02.2016 से 10.06.2024 तक की सेवा को अनुवर्ती लाभों (Consequential benefits) हेतु गणना की जायेगी तथा पूर्व सेवा समाप्ति तिथि 11.06.2024 से मृत्यु के पद की उपस्थिति दिनांक तक की अवधि का कोई लाभ/वेतन भत्ता देय नहीं होगा और न ही यह अवधि अनुवर्ती लाभों (Consequential benefits) हेतु जोड़ी जायेगी।
2. यद्यपि उनकी पूर्व सहायक वर्ग-03 की सेवा को अन्य किसी लाभ हेतु नहीं जोड़ा जायेगा, परन्तु चूंकि इनकी पूर्व की सेवा को अनुवर्ती लाभों (Consequential benefits) हेतु विश्वविद्यालयीन सेवा माना गया है, जिससे इनकी अनुकम्पा नियुक्ति परिवीक्षा अवधि के अधीन नहीं रहेगी।
3. उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित थाना से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह अनुकम्पा नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।

अगले पृष्ठ पर जारी.....



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

कुलसचिव

Ph- : 0751-2970519 (O) 0751-2970522 (Fax)

E-mail- registrar.rvskvv09@gmail.com

क्र./कु.स./स्था.-II/2022/803

दिनांक: 03/03/2022

// आदेश //

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमती गीतांजली तोमर, सहायक ग्रेड-3, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर को स्थानांतरित कर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कृषि महाविद्यालय ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है।

श्री गौरव राजपूत, कनिष्ठ शीघ्रलेखक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर, कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार (भिण्ड) की पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित कर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.-II/2022/804
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक: 03/03/2022

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर, लहार (भिण्ड)
6. उप कुलसचिव, (स्थापना) रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. श्रीमती गीतांजली तोमर, सहायक ग्रेड-3, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
8. श्री गौरव राजपूत, कनिष्ठ शीघ्रलेखक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर, कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार (भिण्ड) की ओर पालनार्थ।
9. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
10. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर : तर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन, भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपाते जी के अनुमोदनोपान्त श्री गितेश डोंगरे S/O श्री हंसाराम डोंगरे, ग्राम व पोस्ट पाथरगोंव, वार्ड नं. 11 तहसील लां गी, बालाघाट-481222 (म.प्र.) को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-2 200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (विभागाध्यक्ष पद राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर) में निम्नलिखित शर्तों पर अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता, मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जायेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जायेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

Arjun K

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VIDYALAYA, JABALPUR.

No. 2266/Eatt.11/87/

(16)

Dated, the 17th /May, 1987.

O. H. D. Z. B.

Smt. Gouti Bai, Peon, O/o the Senior Scientist Regional Agricultural Research Station, Morena, is transferred in the same capacity and grade and posted in the Estt. of Regional Agriculture Research station, O/o the A.D.R., College of Agriculture, Gwalior (vide Shri Gajendra Singh Yadav), temporarily until further orders with immediate effect at her own cost.

Shri Gajendra Singh Yadav, Peon, O/o the Associate Director Research, College of Agriculture, Gwalior is transferred in the same capacity and grade and posted in the O/o the Senior Scientist, Regional Agricultural Research station, Morena (vice Int. Gouti Bai), temporarily until further orders with immediate effect.

By order of the Vice-Chancellor,

(V.P. Shrivastava)
Registrar

Office of the Associate Director Research,
College of Agriculture, Gwalior.

Edt. No. AIR/Eatt/87/

1560

Date

26-5-87

Copy for information and necessary action to :-

1. The Head of Deptt. Plant Breeding./ Millets Specialist College of Agriculture, Gwalior.
2. The Asstt. Comptroller/ Pay bill counter of the office.
3. Shri Gajendra Singh Yadav, Peon.
4. The Personal/ order/Guard file.

Ju.
ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH

12/5/87
O.P. 2
RECEIVED
12/5/87



श्री गोपाल प्रसाद रैकवार आत्मज स्व. श्री खण्णा प्रसाद रैकवार निवासी ग्वालियर के आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जनजाति के वैकलांग / कर्तव्यार्थक मकान की पूर्ति हेतु विराम भर्ती अभियान के अंतर्गत चयन समिति की अनुशंसा पर माली के पद वतनमान रु 2550-3200/- में अस्थाई रूप में नियुक्ति कर उनको पदस्थाना कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी एवं दो वर्ष की परिसंज्ञा अवधि पर पृष्ठ 2 पर उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र.लां.संवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 जन 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

21/7
21/7

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित :-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, ज.ने.कृषि विश्व विद्यालय, जवलपुर।
2. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर। कृषि श्री गोपाल प्रसाद रैकवार का वेतन बजट शीप D- Agriculture Research Farm में उपलब्ध माली के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करे एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों का जांच अपने स्तर पर सुनिश्चित करे।
3. लेखा निदेशक, ज.ने.कृषि विश्व विद्यालय, जवलपुर।
4. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/गोपनीय शाखा, ज.ने.कृषि विश्व विद्यालय, जवलपुर।
5. माननीय कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, ज.ने.कृषि विश्व विद्यालय, जवलपुर।
6. श्री गोपाल प्रसाद रैकवार आत्मज स्व. श्री खण्णा प्रसाद रैकवार, टाइम स्कूल श्रमिक, द्वारा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
7. व्यक्तिगत नस्ती / सुरक्षा नस्ती / कम्प्यूटर प्रकाश।

कुलसचिव

OFFICE OF THE DEAN, COLLEGE OF AGRICULTURE, GWALIOR (M.P.)

No. DEAN/Lett/92/

Dated April, '92,

O R D E R

Shri Gajendra Singh Yadav, Peon, Water Management project, Morena is hereby transferred in the same capacity and grade under Agriculture College (Non Fias). He should report for duty immediately in the office of the Dean, College of Agriculture, Gwalior.

No T.A. & D.A. will be admissible to him since the transfer is at his own request.

sd/-
DEAN,
COLLEGE OF AGRICULTURE,
GWALIOR

No. Dean/Lett/92/ 3777

Dated 21-4-92

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1. The Registrar, J.N.K.V.V., Jabalpur.
2. The Director Research Services, J.N.K.V.V., Jabalpur.
3. The Associate Director of Research, ~~Animal~~ Agriculture Research Station, Morena.
4. The Asstt. Comptroller, J.N.K.V.V., College of Agriculture, Gwalior.
5. The Asstt. Accounts Officer, Agriculture College, Gwalior.
6. Shri Gajendra Singh Yadav, Peon, Water Management Project, Morena, with reference to your application for transfer duly forwarded by A.D., with endorsement No. 1615/etad the 26.12.91.
7. Personal file.
8. Pay bill counter.

sd/-
DEAN,
COLLEGE OF AGRICULTURE
GWALIOR

sd/-
ADK

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री घनश्याम जाटव, सहायक ग्रेड-2, कार्यालय निदेशक शिक्षण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर का आकस्मिक निधन दिनांक 17.11.2021 को होने के फलस्वरूप इनके पुत्र श्री हरीमोहन जाटव की अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर पे बैंड रु. 5200-20200+1900 (7 वेतनमान लेवल-4 में परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।) में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाकर पदस्थापना उनकी उपस्थिति दिनांक से कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार हैं—

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं हैं और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे।
उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात् चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं अथवा जारी किये जावेंगे।

Ed



कार्यालय कुलसचिव, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
राजा पंचमसिंह मार्ग आकाशवाणी के पास ग्वालियर (म.प्र.)

कुलसचिव

फोन नं. 0751-2970519 (फैक्स) 0751-2970519
E-mail registrar@rvskvv.net

क्रमांक/कु.स./2023/1496

ग्वालियर, 25/05/2023

//आदेश//

विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानांतरण कर कॉलम क्रमांक 04 में अंकित अनुसार प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है-

क्रं.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना में	नवीन स्थल पदस्थापना
1.	डॉ. इंदर सिंह तोमर, प्रधान वैज्ञानिक (उद्यानिकी)	ऑ.कृ.अनु.केन्द्र, झाबुआ	कुलपति जी के ओ.एस.डी., रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर
2.	डॉ. दिनेश पालीवाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ (वैज्ञानिक)	कृषि महाविद्यालय, खंडवा	कार्यालय निदेशक विस्तार सेवाएं, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर
3.	डॉ. एकता जोशी, वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान)	कृषि महाविद्यालय ग्वालियर	कार्यालय कृषि महाविद्यालय, खंडवा
4.	डॉ. पी.डी. सिंह (कीट विज्ञान) विषय वस्तु विशेषज्ञ (वैज्ञानिकी)	कार्यालय निदेशक विस्तार सेवाएं, रा. वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर	कार्यालय कृषि महाविद्यालय खंडवा
5.	श्री राजेश कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर	उद्यानिकी महाविद्यालय, मंदसौर	कुलपति कार्यालय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर
6.	श्री तरुण तिवारी, स्टेनोटायपिस्ट	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि. वि. ग्वालियर
7.	श्री विनीत रजक, सहा. ग्रेड-2	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि. वि. ग्वालियर	कार्यालय निदेशक शिक्षण, रा.वि.सिं. कृ.वि.वि. ग्वालियर
8.	श्री सौरभ थेंगडे, स्टेनोटायपिस्ट	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि. वि. ग्वालियर
9.	श्री हरवंश सिंह, सहा. ग्रेड-3 सह स्टेनोटायपिस्ट	कुलसचिव, रा.वि.सिं. कृ.वि.वि. ग्वालियर	कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय ग्वालियर
10.	श्री अंजुल सक्सैना, सहा. ग्रेड-3 सह स्टेनोटायपिस्ट	अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ. वि.वि. ग्वालियर	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि. वि. ग्वालियर
11.	नेहा वैद्य, सहा. ग्रेड-3 सह स्टेनोटायपिस्ट	निदेशक विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ. वि.वि. ग्वालियर	कार्यालय कृषि महाविद्यालय इंदौर

12	श्री प्रदीप कश्यप, सहा. ग्रेड-3 सह स्टेनोग्राफर	कुलसचिव, रा.वि.सिं. कृ.वि.वि. ग्वालियर	कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, अलीराजपुर
13	श्री अभिषेक सिंह राठौर, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	कुलपति, रा.वि.सिं. कृ.वि.वि. ग्वालियर	कार्यालय उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर
14	श्री कुलदीप त्रिवेदी, स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	कुलसचिव, रा.वि.सिं. कृ.वि.वि. ग्वालियर	कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर
15	श्री सार्थक शर्मा, सहा. ग्रेड-3 सह स्टेनोग्राफर	निदेशक शिक्षण, रा. वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि. वि. ग्वालियर
16	श्री गगन बैरागी, सहायक ग्रेड-3	कृषि महाविद्यालय इंदौर	कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर
17	अर्चना भारद्वाज, कम्प्यूटर प्रोग्रामर	निदेशक शिक्षण, रा. वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर	कुलपति कार्यालय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर
18	श्री आर.एस. परमार, उपयंत्री (इलैक्ट्रिकल)	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि. वि. ग्वालियर	कार्यालय उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर
19	श्री मनोज गौड, उपयंत्री (इलैक्ट्रिकल)	कृषि महाविद्यालय इंदौर	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, रा.वि. सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर
20	श्री परमेश सोनी, कार्यालय अधीक्षक सह लेखापाल	कृषि विज्ञान केन्द्र मंदसौर	कृषि विज्ञान केन्द्र, दतिया
21	श्री भूपेन्द्र कुमार कुर्मी, कनिष्ठ शीघ्रलेखक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	कृषि विज्ञान केन्द्र, धार	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि. वि. ग्वालियर

मान. कुलपति महो. द्वारा आदेशित,

(अनिल सक्सेना)

कुलसचिव

ग्वालियर, 25/05/2023

पृष्ठा.क्रं./कु.स. /2023/1497

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय/कुलसचिव/निदेशक विस्तार/निदेशक शिक्षण/कार्यपालन यंत्री, रा. वि.कृ.वि.वि. ग्वालियर एवं अधिष्ठाता कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय खण्डवा/ग्वालियर/इंदौर/मंदसौर एवं आं.कृ.अनु. केन्द्र झाबुआ, कृषि विज्ञान केन्द्र मंदसौर/धार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिकारी/कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना पर उपस्थिति हेतु तत्काल भारमुक्त करने का कष्ट करें।
2. निदेशक अनुसंधान सेवाएं, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
3. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
4. संबंधित श्री.....की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नवीन पदस्थापना पर तत्काल उपस्थिति दें।
5. निजसचिव माननीय कुलपति जी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।

(अनिल सक्सेना)

कुलसचिव

2

OFFICE OF THE DEAN, COLLEGE OF AGRICULTURE:
GWALIOR. M. P.

No. Estt/81/3187-3196

Dated: 17-9-81

ORDER

On recommendations of the Selection Committee Kum. Hema Sharma D/o Sh. Nandkishore Sharma is hereby appointed temporarily on probation of one year on the post of Peon in the ~~pay~~ scale of Rs. 125-2-145-2½-150 against the vacant post of Library sorter with effect from the date of her joining.

The appointments is on the following terms and conditions.

1. The appointment is temporary and can be terminated on one months notice on either side or one month's salary in lieu thereof.
2. The candidate shall have to submit a medical certificate of Physical fitness from the V.V. Medical Officer Gwalior campus before drawing his/her 1st salary. In case she is not found to be physically fit, the appointment shall stand cancelled.
3. The candidate shall have to take an oath of allegiance to the Republic of India.
4. The antecedents of the candidate shall be got verified through the Police authorities and if any thing repugnant is found out the character of the candidate in the Police report, his appointment shall be liable to be terminated at once without any notice.
5. The order will stand cancelled if the candidate does not join duties within a week from the date of issue of this order.

scf
DEAN
COLLEGE OF AGRICULTURE
GWALIOR.

Endt. No. Estt/81/

Copy forwarded to:-

1. The Registrar, J.N.K.V.V., Jabalpur. M.P.
2. The Comptroller, J.N.K.V.V., Jabalpur.
3. P & Accounts Section
4. Kum. Hema Sharma D/o Sh. Nand Kishore Shareem, I-2
Krishi Colony, Gwalior. M.P.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1251

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री इशार्द कुरेशी S/o श्री अवरार, वार्ड नं. 7 आमाटोला पांढरवानी ग्राम व तहसील लालबर्सा-481441 जिला बालाघाट (म.प्र.) को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अन्य पिछड़ा वर्ग (निःशक्तजन दृष्टिबाधित) श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (विभागाध्यक्ष पद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन को प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें विना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

Arjun Singh

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHVA VIDYALAYA
JABALPUR

NO. Estt. II/(173)/94/ 2058 Dated, 8th July, 1994

ORDER

Shri Ismail Khan S/o late Shri Munne Khan, Ex-
Tractor Driver, College of Agriculture, Gwalior, is
appointed on compassionate ground as Peon in the
Scale of pay Rs. 750-12-870-15-945/- and posted at
the College of Agriculture, Gwalior, temporarily,
until further orders, with effect from the date he
reports on duty, on the terms and conditions appended.

He should report on duty at his place of
posting within 15 days from the date of issue of this
order, failing which the order will be treated as
cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

(K.M. Shandilya)
REGISTRAR

Endt.No.Esst.II/(173)/94/2059 Dated, the 8th July, 94

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Collector, Jabalpur District, Jabalpur.
2. The Director of Research Services, JNKVV, Jabalpur.
3. The Dean, College of Agriculture, Gwalior-(M.P.).
4. The Comptroller, JNKVV, Jabalpur.
5. The P.S. to Hon. Vice-Chancellor/Registrar, JNKVV, Jabalpur.
6. Shri Ismail Khan S/o of late Shri Munne Khan, through the Dean, College of Agriculture, Gwalior.
7. Personal file/Guard file.

Sumit
8/7/94
ASSISTANT REGISTRAR (EST.)

...

82

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/2013/264.

ग्वालियर, मई 02, 2013
०३

आदेश

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से, श्री के.एल. वर्मा, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, कार्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना को स्थानांतरित कर आगामी आदेश तक कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के डेयरी प्रक्षेत्र पर प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

(एच.एस. मेहर)
कुलसचिव

ग्वालियर, मई 02, 2013
०३

पृष्ठा क्र./कु.स./स्था.दो/2013/265
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. संचालक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. संचालक, योजना व प्रक्षेत्र विकास/कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
6. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. सहसंचालक अनुसंधान, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री वर्मा को तत्काल कार्य मुक्त करें।
8. प्रभारी डेयरी प्रक्षेत्र, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
9. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना/कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
10. श्री के.एल. वर्मा, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, मुरैना द्वारा क्रमांक-7 की ओर पालनार्थ।
11. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
12. सुरक्षा/व्यक्तिगत नस्ती।

कुलसचिव

D.D.O./Acelt
24/5/13

44
31/5/13

जगहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर,

कं.स्था.दो./बी/173/2007/2930

दिनांक 7/07/2007

17011
12/11/07

// आदेश //

म.प्र. शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी नियम एवं दिशा निर्देश जो इस विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत है, के आधार पर निम्नलिखित आवेदकों को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में फील्ड अटैन्डेंट के पद पर वेतनमान रु.2550-55-2660-60-3200/- पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संलग्न शर्तों के अधीन दो वर्ष की परीवीणा अवधि पर नियुक्त कर उनके नाम के सफक्ष दशाये गये स्थानों पर पदस्थ किया जाता है ।

नियुक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति दें अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वयंभेव निरस्त माना जायेगा ।

क्र.	आवेदक का नाम	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1.	श्रीमती लक्ष्मीबाई, पत्नि स्व.श्री बिशन बहादुर, पूर्व भृत्य	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर
2.	श्री रामवीर कुशवाहा, पुत्र स्व.श्री हरविलास कुशवाहा, पूर्व प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी	अ.पि.व.	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुरूचित जातियों, अनुरूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21, सन 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

कुलपतिजी-के आदेशानुसार,

(Handwritten Signature)

संलग्न- अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें ।

कुलसचिव

दिनांक 7/07/2007

कं.स्था.दो./बी/173/2007/2931

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित :-

1. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर ।
2. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
3. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/ बजट एवं वित्त/ गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
4. संबंधिता श्री/श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नि स्व.श्री बिशन बहादुर कुशवाहा कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर
5. व्यक्तिगत नरती / सुरक्षा नस्ती ।

(Handwritten Signature)
1585

(Handwritten Signature)

कुलसचिव

नोट - आवेदक को जिस कार्यालय में पदस्थ किया जा रहा है उस कार्यालय के प्रभारी प्रमाण पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से कर तदाशय की प्रविष्टि सेवा-पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें ।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

2

क्र./कु.स./स्था.-दो/2016/5397

ग्वालियर, दिनांक: 03/08/2016

// आदेश //

चयन समिति की अनुशंसा एवं कुलपतिजी के अनुमोदनोपरान्त श्री महेन्द्र जोशी S/o श्री मिश्रीलाल जोशी, 24 आर.सी. पटेल कॉलोनी, दुर्गेशपुरी गली नं. 7, नाका चन्द्रवदनी नहर वाली माता रोड लखर, ग्वालियर 474009 (म.प्र.) को उपयंत्री (सिविल) के पद पर वेतनमान रु. 5000-150-8000 (Revised Pay Scale PB 9300-34800+GP 3200) पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यपालन यंत्री, वर्क सेक्शन, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के अंतर्गत अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के अधीन निम्नलिखित शर्तों के तहत पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

- (अ) आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जॉचोपरान्त गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश के प्रसारित होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देवे, अन्यथा ये आदेश बिना सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि समाप्ति केर कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात ही आंगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि में उपयंत्री (सिविल) के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने के तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

कृ.उ.

116
109

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/2012/1679


ग्वालियर, अक्टूबर 10, 2012

आदेश

विश्वविद्यालय आदेश क्र./कु.स./स्था.दो/2012/759. दिनांक 03.09.2010 को अधिक्रमित करते हुये श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह, सहायक वर्ग-3, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय, सीहोर को स्थानान्तरित कर समान पद एवं वेतनमान में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में स्वयं के व्यय पर पदस्थ किया जाता है। श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह का वेतन, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के बजट शीर्ष- सी 1(4) हार्टीकल्चर के रिक्त - प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के पद के विरुद्ध आहरित किया जावे।

श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह, सहायक वर्ग-3, अधिष्ठाता कृषि संकाय के कार्यालय में पूर्ववत कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार



(डॉ. आर.एल. राजपूत)
कुलसचिव

पृष्ठा.क्र./कु.स./स्था.दो/2012/1680

ग्वालियर, अक्टूबर 10, 2012

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, सीहोर/ग्वालियर।
3. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. उप कुलसचिव कुलसचिव (स्था), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, सीहोर/ग्वालियर।
6. श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह, सहायक वर्ग-3, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय, सीहोर की ओर पालनार्थ।
7. माननीय कुलपतिजी के निज सचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत नस्ती।


कुलसचिव

No. Estt. II/(173)/_____

Dated, the _____

Q R R R R

Shri Mohar Singh s/o late Shri Babula, College of Agriculture, Gwalior, is appointed as compassionate ground in the scale of pay Rs. 725-10-15-900/- and posted at the Agricultural Research Para of Agriculture, Gwalior, temporarily, until further order with effect from the date he reports on duty, on the following terms and conditions :-

1. The appointment shall be effective from the date he reports on duty and his services are liable to be transferred in any unit of the JNAVV located in the State ;

The appointment is purely temporary and can be terminated at any time without any notice or assigning any reasons thereof ;

He shall have to take an oath of allegiance to the Republic of India ;

4. He shall have to submit a medical certificate of physical fitness from the JNAVV Chief Medical Officer or Civil Surgeon of the district, without which he shall not be able to draw salary. In case he is not found to be physically fit, the appointment shall stand cancelled ;

5. He will exercise option for Fixed Medical Allowance within 30 days from the date of his joining the duties otherwise the medical re-imbursment facilities will be allowed.

He should report on duty at his place of posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the order will be treated as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

(V.P. Shrivastava)
Registrar

Dated, the 30/Dec., 1988

No. Estt. II/(173)/_____

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Director of Research Services, JNAVV, Jabalpur.
2. The Dean, College of Agriculture, Gwalior.
3. The Associate Director Research, College of Agriculture, Gwalior.
4. The Comptroller, JNAVV, Jabalpur.
5. Shri Mohar Singh s/o late Shri Babula, Poon, through the Associate Director Research, College of Agriculture, Gwalior.
6. Personal file/Guard file.

ADAR

10-1-89

4176

2962


SA

10-1-89

10-1-89



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)



क्र./कु.स./स्था./स्थानां./2018/2534


दिनांक: 05/10/18

//आदेश//

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री नरेश गुप्ता, कार्यक्रम सहायक (मृदा विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर को स्थानांतरित कर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग के अधीन फौंडर स्कीम में वैज्ञानिक के रिक्त पद विरुद्ध पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार



कुलसचिव 5.10.18

दिनांक: 05/10/18

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था./स्थानां./2018/2535
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
4. विभागाध्यक्ष, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर।
5. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर।
6. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. उप कुलसचिव, (स्थापना/शिक्षण), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. श्री नरेश गुप्ता, कार्यक्रम सहायक (मृदा विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
9. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
10. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव 5.10.18


8/10

RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISIWA VIDYALAYA,
GWALIOR (M.P.) - 474002

ORDER

No./Estt.-II/2008/ 284

Dated : 8-10-08

Sh. Narottam Singh Gurjar, Driver-Cum-Mechanic College of Horticulture, Mandasaur is transferred and posted at College of Agriculture, Gwalior, temporarily until further orders with immediate effect at his own cost.

BY ORDER OF THE VICE CHANCELLOR

Sd.
REGISTRAR

Dated : 8-10-08

No./Estt-II/2008/ 285

CC for information and necessary action to:-

1. The Comptroller, R.V.S.K.V.V., Gwalior.
2. The Dean, College of Agriculture, Gwalior,
3. The Dean, College of Horticulture, Mandasaur.
4. Section Officer (Funds), JNKVV, Jabalpur.
5. Person Concerned Sh. Narottam Singh Gurjar, Vehicle Driver
6. Personal File.
7. Guard File.

Sd.
REGISTRAR
8.10.08

E.
13/10/08

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1217

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल M0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री नीरज त्यागी S/o श्री जयराम त्यागी, ग्राम हरगंगोली, पोस्ट मुन्द्रावजा तहसील जौरा, जौरा-476221 जिला मुरैना (एम.पी.) को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (विभागाध्यक्ष पद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत M0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं। अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, M0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों को जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त M0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

अधीनस्थ

विप्रभाषि
जी.व.अ.पी.

14/12
OFFICE OF THE REGISTRAR,
RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDYALAYA,
GWALIOR - 474 002 (M.P.)

o./Reg./Estt.II/2012/

Gwalior, 9th April, 2012

// ORDER //

Dr. N.K.S. Bhadauria, Technical Assistant (Entomology), Cotton Project, , B.M. College of Agriculture, Khandwa is hereby transferred in the same capacity and grade and posted under the C-1 (49) ICAR IERP, College of Agriculture, Gwalior, temporarily until further orders with immediate effect.

By order of Hon'ble Vice Chancellor

(Dr. Rajiv Saxena)
REGISTRAR

Endt. No./Reg./Estt.II/2012/19

Gwalior, 9th April, 2012

Copy forwarded for information and necessary action to -

1. Dean Faculty of Agriculture, R.V.S.K.V.V., Gwalior/ DRS, RVSKVV, Gwal.
2. Comptroller, R.V.S.K.V.V., Gwalior.
3. Assistant Registrar (Estt.), R.V.S.K.V.V., Gwalior.
- ✓ 4. Dean, College of Agriculture, Gwalior/Khandwa.
5. Dr. N.K.S. Bhadauria, Technical Assistant (Entomology). Cotton Project, B.M. College of Agriculture, Khandwa.
6. PS to Hon'ble Vice Chancellor, R.V.S.K.V.V., Gwalior.
7. Personal/Guard File.

Estt
12/4/2012

REGISTRAR



अनिल सक्सैना
कुलसचिव

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
राजा पंचम सिंह मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.)

Ph- : 0751-2970519 (O) 0751-2970522 (Fax)
E-mail- registrar@rvskvv.net

क्र./कु.स./स्था.दो/स्थानां./2023/1517

दिनांक: 25/05/2023

// आदेश //

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री प्रवीण लिखार, सहायक ग्रेड-3, शैक्षणिक शाखा, कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से स्थानांतरण कर कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार)



कुलसचिव

दिनांक: 25/05/2023

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.दो/स्थानां./2023/1518

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
3. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. सहायक कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. लेखा शाखा, कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
7. श्री प्रवीण लिखार, सहायक ग्रेड-3 शैक्षणिक शाखा, कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
8. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
9. व्यक्तिगत सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव

आदेश


म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3. दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री विश्वजीत श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3 कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर का आकस्मिक निधन दिनांक 24.08.2014 को होने के फलस्वरूप इनकी पत्नी श्रीमती प्रीती श्रीवास्तव को अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर पे बैंड रु. 5200-20200 + ग्रेड पे रु. 1900 में अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त कर बजट शीर्ष B(a)3 कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है।

नियुक्ति की अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं-

- (1) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेना होगी।
- (2) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जो कि किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार कर्मचारी के द्वारा त्याग पत्र देने की स्थिति में एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य है।
- (3) कार्य पर उपस्थिति के समय समस्त वांछित मूल प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (4) उपरोक्त पदस्थापना स्थल पर आदेश जारी होने के 30 (तीस) दिवस में अनिवार्यतः उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा।
- (5) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3. दिनांक 29 सितम्बर 2014 के बिन्दु क्रमांक 6.5 के अनुसार सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कम्प्यूटर डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। निर्धारित समयावधि में वांछित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार



(एच.एस. मेहर) 31/10/14
कुलसचिव

दिनांक: 31/10/2014

क्रमांक / कु.स. / स्था.दो / 2014 / 2411

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर श्रीमती प्रीती श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री विश्वजीत श्रीवास्तव के कार्य पर उपस्थित होने के उपरान्त कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर में कार्य करने हेतु अनुलग्न किया जाता है।
3. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. उप कुलसचिव (स्था.), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/पेंशन/बजट/स्थापना/गोपनीय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्रीमती प्रीती श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री विश्वजीत श्रीवास्तव द्वारा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
7. निज सचिव माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत नरसी / सुरक्षा नरसी


कुलसचिव

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHVA VIDYALAYA
JABALPUR

No. Estt. II/5/(172)/ 512 Dated, the 26th Feb., 1996

ORDER

Shri Rajendra Dhandhere s/o late Dr. S.V. Dhandhere, Ex-Professor, College of Agriculture, Gwalior is appointed on compassionate ground as Lower Division Clerk in the scale of pay Rs. 950-25-1000-30-1210-40-1330, and posted at the College of Agriculture, Gwalior (vice Shri H.C. Jain, LDC-promoted), temporarily, until further orders, with effect from the date he reports on duty on the terms and conditions appended.

As per instructions contained in the G.A.D. circular No. C/3-4/94/3/1 dated 10.6.1994 (Para - 20) Shri Rajendra Dhandhere should pass Hindi Typing Examination from M.P. Board. Further, Shri Rajendra Dhandhere is not entitled for annual grade increments till he passes the Typing Examination as above.

He should report on duty at his place of posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the order will be treated as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

Self
(A.B. Asati)
REGISTRAR

No. Estt. II/5/(172)/ 512 Dated, the 26th Feb., 1996

Copy forwarded for information and necessary action to -

1. The Collector, Jabalpur district, Jabalpur
2. The Director of Research Services, JMKVV Jabalpur
3. The Dean, College of Agriculture, Gwalior
4. The Comptroller, JMKVV Jabalpur/MSRD, JMKVV Jabalpur
5. The Asstt. Registrar (C.C.), JMKVV Jabalpur
6. The P.S. to Non-Vice-Chancellor, JMKVV Jabalpur
7. Shri Rajendra Dhandhere s/o late Dr. S.V. Dhandhere, through the Dean, College of Agriculture, Gwalior
8. Personal file/Guard file.

Self
Encls: Terms and
conditions.

Self
ASST. REGISTRAR (H&A)

College of Agriculture Gwalior

No. 512

204



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे शिक्षा विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

5455
16/2/17
अधिसूचना


क्र./कु.स./स्था.-2/2017/701.

दिनांक: 15/2/2017

// आदेश //

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री रामनाथ सिंह राठौर, इलैक्ट्रीशियन, कार्यालय निदेशक योजना एवं प्रक्षेत्र विकास, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर को स्थानांतरित कर कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में समान पद एवं वेतनमान पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार



(एम.आर.जाटव)
कुलसचिव

दिनांक: 15/2/2017

पृ.क्र. क्र./कु.स./स्था.-2/2017/702.
प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक योजना एवं प्रक्षेत्र विकास/प्रभारी कार्यपालन यंत्री, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप कुलसचिव, (स्थापना) रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्री रामनाथ सिंह राठौर, इलैक्ट्रीशियन, कार्यालय निदेशक योजना एवं प्रक्षेत्र विकास, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
7. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव


17-2-17

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर,

क्र.सं.बी/सी/173/2007/2930.

दिनांक 7/07/2007

// आदेश //

म.प्र. शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी नियम एवं दिशा निर्देश जो इस विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत है, के आधार पर निम्नलिखित आवेदकों को चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में फील्ड अटैन्डेंट के पद पर वेतनमान रु.2550-55-2660-60-3200/- पर अस्थाई रूप से आयागी आदेश तक संलग्न शर्तों को अपनी जो वर्ग की परीक्षा अवधि पर नियुक्त कर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थानों पर पदस्थापन किया जाता है।

नियुक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के प्रसंगित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर अपनी उपस्थिति दें अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

क्र.	आवेदक का नाम	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1	श्रीमती लक्ष्मीबाई, पति स्व.श्री बिशन बहादुर, पूर्व भृत्य	सामान्य	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर
2	श्री रामवीर कुशवाहा, पुत्र स्व.श्री हरविलास कुशवाहा, पूर्व प्रभेत्र विस्तार अधिकारी	अ.पि.व.	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

(Handwritten signature)

संलग्न- अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्तें।

कुलसचिव

दिनांक 7/07/2007

क्र.सं.बी/सी/173/2007/2930

प्रारंभिक सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित :-

1. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
2. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. अनुभाग अधिकारी, भविष्य निधि/ बजट एवं वित्त/ गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।

संबंधित श्री / श्रीमती रामवीर कुशवाहा, पुत्र स्व.श्री हरविलास कुशवाहा, पूर्व प्रभेत्र विस्तार अधिकारी, सुभाष नगर, चार (चार) भाग

व्यापारिक नरती / सुस्था नरती।

(Handwritten signature)

कुलसचिव

नोट - आवेदक को जिस कार्यालय में पदस्थ किया जा रहा है उस कार्यालय के प्रभारी प्रमाण पत्रों का संस्थापन मूल प्रमाण पत्रों से कर तदाशय की प्रविष्टि सेवा-पुस्तिका में करना सुनिश्चित करें।



कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/2024-25/1994 // आदेश //

दिनांक: 25/09/2024

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से विश्वविद्यालय के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से उनके समक्ष दर्शाये गये स्थान पर समान सामर्थ्य में स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है:

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	सुश्री अर्चना भारद्वाज कम्प्यूटर प्रोग्रामर	कार्यालय मान. कुलपति रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कार्यालय निदेशक शिक्षण एवं छात्र कल्याण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
2	श्री धीरसिंह सिकरवार प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र, बागवई
3	श्री गगन बैरागी, सहायक वर्ग-3	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, इन्दौर
4	श्रीमती मोनिका उपाध्याय, सहायक वर्ग-3	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	निदेशालय विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
5	कु. निकिता राजपूत, शीघ्रलेखक श्रेणी-3	निदेशालय विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर र
6	श्री सार्थक शर्मा, सहायक वर्ग-3 सह स्टेनोग्राफिस्ट	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कार्यालय अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
7	श्रीमती प्रीती श्रीवास्तव सहायक वर्ग-3	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर	कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर
8	श्रीमती रानी कुशवाह सहायक वर्ग-3	कार्यालय निदेशक शिक्षण एवं छात्र कल्याण, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर	कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर

श्री के.एल. वर्मा, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ श्री धीरसिंह सिकरवार के स्थान पर प्रक्षेत्र का कार्य भी आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से संपादित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.एक/2024-25/1995

दिनांक: 25/09/2024

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. निदेशक शिक्षण/अनुसंधान सेवायें/विस्तार सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इन्दौर/सीहोर/खंडवा/मंदसौर।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उप/सहायक कुलसचिव, (स्थापना) रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. सह संचालक अनुसंधान, ऑ.कृ.अनु.केन्द्र, मुरैना/खरगौन/झाबुआ।
7. वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र (समस्त)
8. संबंधित की ओर पालनार्थ।
9. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
10. व्यक्तिगत/सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री ऋषि चौरसिया, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर), कृषि विज्ञान केन्द्र, दतिया का आकस्मिक निधन दिनांक 06.12.2021 को होने के फलस्वरूप इनकी पत्नी श्रीमती रश्मि चौरसिया की अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर पे बैंड रु. 5200-20200+1900 (7 वेतनमान लेवल-4 में परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।) में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाकर पदस्थापना उनकी उपस्थिति दिनांक से कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार हैं-

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं हैं और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे।
उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात् चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं अथवा जारी किये जावेगें।



//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शोधलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन गोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गटित दस्तावेज सत्यापन समिति को अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त कु. रीना गोयल D/O श्री भगवती प्रसाद गोयल, वार्ड नं. 11, राम मंदिर गली पुराना जौरा, मुरैना-476221 (म.प्र.) को शोधलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनाक्षित (महिला) श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अर्थात् रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (विभागाध्यक्ष पद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. वह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवाओं पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

(Handwritten Signature)

02

कार्यालय वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र लहार-477445, (भिण्ड)



डॉ. पुनीत कुमार
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख


मो 9425716695
ईमेल - kvk.lahar@rediffmail.com
Website: www.kvklaharbhind.com

क्र./कृ.वि.के./स्था./2021-22/153

दिनांक- 23.07.2021

//आदेश//

विश्वविद्यालय के स्थानांतरण आदेश क्र./कु.स./स्था.-2/2021/936-937, दिनांक 23.07.2021 के परिपालन में श्री आर.के.एस. सेंगर, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार (भिण्ड) को आज दिनांक 23.07.2021 को दोपहर पश्चात् भारमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नवीन पदस्थ कार्यालय कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के अंतर्गत C-1(3) Regional Research Station N.P. में पदभार ग्रहण करें।



वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

दिनांक- 23.07.2021

पृष्ठा. क्र./कृ.वि.के./स्था./2021-22/154

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निदेशक अनुसंधान/विस्तार सेवाएं, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
3. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. उष कुलसचिव (स्थापना) रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
6. श्री आर.के.एस. सेंगर, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी, कृ.वि.के., लहार की ओर पालनार्थ।
7. निज सचिव, मान्नीय कुलपति जी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत नस्ती।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

(25)

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHVA VIDYALAYA
JABALPUR

No. Estt. II/2669/_____

Dated _____/July, 1989

O R D E R

Shri R.S. Chouhan, Chowkidar, Sugarcane Scheme,
Regional Agril. Research Station, Bagwai is hereby
transferred in the same capacity and grade and
posted in the Millet Project, College of Agriculture,
Gwalior, temporarily, until further orders, with
immediate effect.

By order of the Vice-Chancellor

sd/-
(V.P. Shrivastava)
REGISTRAR

No. Estt. II/2558/1719

Dated 13th/July, 1989

Copy forwarded to:-

1. The Director of Research Services, JNKVV Jabalpur.
2. The Dean, College of Agriculture, Gwalior.
3. The Comptroller, JNKVV Jabalpur.
- ✓ 4. The Junior Scientist, Incharge, JNKVV Regional Agril. Research Station, Bagwai, Distt. Gwalior.
5. Shri R.S. Chouhan, Chowkidar, Sugarcane Scheme, Reg. Agril. Research Station, Bagwai.

for information and necessary action.

6. Guard file

[Signature]
REGISTRAR

. . .

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1215

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर शीघ्र भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्राचीण्य सूची अनुरार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री सौरभ ठेंगाहे S/o श्री चमन लाल ठेंगाहे, चार्ज नं. 01 पोस्ट हट्टा तहसील बालाघाट जिला बालाघाट-481226 (म.प्र.) को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थायी रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (विभागाध्यक्ष पद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवार्थें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

A. B. B. B.

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1243

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री शुभम चौहान S/o श्री जगदीश चौहान, 47 गीता नगर गली नं. 2 खरगोन-451001 (म.प्र.) को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (विभागाध्यक्ष पद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिद्धि सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

Arjun...

DIRECTORATE OF RESEARCH SERVICES,
JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VIDYAYA VIDYALAYA, JABALPUR.

No. DRG/Estt/87/9791.

Dated 27.3.87.

O R D E R

Consequent upon shifting of Kish Vidisha Centre to Sagar, under All India Coordinated Wheat Improvement Project the following staff is transferred from Vidisha & posted at places temporarily until further orders :-

4. Shri R.S. Parmar,
Field Assistant.
5. Shri S. Kushwaha,
Field Assistant.

All India Coordinated wheat
Improvement Project at Gwalior.

All India Coordinated wheat
Improvement Project at
Gwalior.

2/- The above staff members shall draw their salary for the month of March '87 at Vidisha (on 31.3.87) and be relieved to join their new posts only on or after 1.4.87.

Sd/-


(G.P. Verna)
Director Research Services,

Encl:
Encl. No. DRG/Estt./87/1052

Dated 20/4/87

Copy forwarded to :-

1. The Pay bill counter, of this office.


ASSOCIATE DIRECTOR RESEARCH

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

कु.स./स्था.दो/2012/

ग्वालियर, अगस्त 17, 2012

आदेश

श्री एस.पी. श्रीवास्तव, तकनीकी सहायक (टी-6), आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, मुरैना को स्थानांतरित कर समान पद एवं वेतनमान में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में बजट शीर्ष - सी-2 रिसर्च पर्सन गिलेट के अंतर्गत तकनीकी सहायक के रिक्त पद पर स्वयं के व्यय पर पदस्थ किया जाता है।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

ग्वालियर, अगस्त 17, 2012

पृष्ठा.क्र./कु.स./स्था.दो/2012/1186

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. सहायक कुलसचिव (स्था), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
4. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
5. सह संचालक अनुसंधान, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, मुरैना।
6. श्री एस.पी. श्रीवास्तव, तकनीकी सहायक (टी-6), आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र, मुरैना की ओर पालनार्थ।
7. माननीय कुलपतिजी के निज सचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. व्यक्तिगत नस्ती।

[Signature]
कुलसचिव

ESA


[Signature]
17/8/12



JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA
JABALPUR

ORDER

No: Estt. I/Agri./T. A./ 223 Dated, the 17th December, 2004.



Shri Sudhanshu Jain, Technical Assistant (Plant Breeding & Genetics), Krishi Vigyan Kendra, Dhar is transferred temporarily in the same capacity and scale of pay, until further orders and posted under AICRP on Pearl Millet at the College of Agriculture, Gwalior, with immediate effect, at his own cost.

By order of the Vice-Chancellor,

[Signature]
Registrar

Encl. No: Estt. I/Agri./T. A./ 224 Dated, the 17th Dec. 2004.

Copy forwarded to :-

1. The Director of Research Services, JNKVV., Jabalpur.
 2. The Director of Extension Services, JNKVV., Jabalpur.
 3. The Dean, College of Agriculture, Indore /Gwalior,
 4. The Incharge Training Organizer, Krishi Vigyan Kendra, Dhar (M.P.).
 5. The Comptroller, JNKVV., Jabalpur.
 6. The Head, Department of Plant Breeding & Genetics, College of Agriculture, Jabalpur.
 7. The Section Officer (Conf. Cell), JNKVV., Jabalpur.
 8. Shri Sudhanshu Jain, Technical Assistant (Plant Breeding & Genetics), Krishi Vigyan Kendra, Dhar (M.P.)
- for information & necessary action.
9. Personal file/Guard file/Computer Cell.

[Signature]
Registrar

PSD

ESTT
[Handwritten mark]

...

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था.दो/2010/642.

दिनांक: अगस्त, 13, 2010

आदेश

विश्वविद्यालय के दिवंगत लेब अटेन्डेन्ट, स्व. श्री मनोज बाथम की पत्नि श्रीमती सुनीता बाथम को म.प्र. शासन में प्रचलित नियम जो कि इस विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत है, के अनुरूप अनुकम्पा के आधार पर भृत्य के पद पर वेतनमान रु. 4440 7440 । 1300/- ग्रेड पे पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिधि में अवधि पर नियुक्त कर College Non Plan कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में पदस्थ किया जाता है।

यह नियुक्ति इस शर्त के साथ दी जाती है कि नियुक्ति के पश्चात् यदि पाया जाता है कि सम्बन्धित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

श्रीमती सुनीता बाथम इस आदेश के प्रसारित होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति दें, अन्यथा यह आदेश बिना किसी अन्य सूचना के स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

(डॉ. राजीव सक्सेना)

कुलसचिव

दिनांक: अगस्त, 13, 2010

पृष्ठा क्र./कु.स./स्था.दो/2010/643.

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित—

1. संचालक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर। कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें:—
 1. आवेदक के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों से करने का पूर्ण दायित्व कार्यालय प्रमुख का होगा।
 2. आवेदक का चरित्र सत्यापन जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराकर मूलप्रति अपने पास रखें तथा उसकी छायाप्रति इस कार्यालय को भेजें।
 3. आवेदक को पदभार ग्रहण करने के पूर्व विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
4. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
5. उपलेखानियंत्रक, भविष्य निधि/अनुभाग अधिकारी/सामान्य/गोपनीय/पेंशन/बजट एवं वि.वि., रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
6. श्रीमती सुनीता बाथम पत्नि स्व. मनोज बाथम, पुराने हाईकोर्ट के पीछे, मजिस्ट्रट वाली गली, लश्कर, ग्वालियर।
7. माननीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
8. सुरक्षा नरती/व्यक्तिगत नरती।

(डॉ. राजीव सक्सेना)

7. माननाय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

8. सुरक्षा नरती/व्यक्तिगत नरती।

16/8/2010

(डॉ. राजीव सक्सेना)
कुलसचिव

JANAKHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA
JABALPUR

No. Estt.II/(173)/_____ Dated, the Dec.,1993

ORDER

Shri Suresh Rao Pote S/o late Shri P.N.Pote,
Ex-Field Extension Officer, College of Agriculture, Gwalior
is appointed on compassionate ground as Peon in the scale
of pay N. 750-12-870-15-945/- and posted at the College
of Agriculture, Gwalior, temporarily, until further
orders, with effect from the date he reports on duty
on the following terms and conditions :-

1. The services of the incumbent are liable to be transferred in any unit of the JNKVV located in the State ;
2. The appointment is purely temporary and can be terminated at any time without any notice or assign any reasons thereof ;
3. He shall have to take an oath of allegiance to the Republic of India ;
4. He shall have to submit a medical certificate of physical fitness from the JNKVV Chief Medical Officer or Civil Surgeon of the district, without which he shall not be able to draw salary. In case he is not found to be physically fit, the appointment shall stand cancelled ;
5. He will exercise option for Fixed Medical Allowance within 30 days from the date of joining the duties otherwise the medical re-imbusement facilities will be allowed ;
6. The antecedents of the candidate shall be got verified through the Police and/or such other authorities as may be deemed fit and if anything repugnant is found about the character of the candidate, his appointment shall be liable to be terminated atonce, without any notice ;
7. He should submit the Primary/Middle/HSSC Certificate in original with attested photocopy, as the case may be, for verification and attestation of date of birth at the time of his joining the duties. If the candidate is illiterate, he should submit a declaration regarding this and submit a certificate of birth from the concerned Police station or Gram Panchyat ;
8. The appointment shall be governed by all other existing rules and regulations of the Vishwa Vidyalaya and those framed/amended from time to time.

He should report on duty at his place of posting within 15 days from the date of issue of this order, failing which the order will be treated as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

Self
(K.M.Shandilya)
Registrar

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र./कु.स./स्था.दो/2019/1221

ग्वालियर, दिनांक: 30/07/2019

//आदेश//

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर शीघी शर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री तरुण तिवारी S/O श्री महावीर प्रसाद मुक्तीनाद नगर चार्ज न. 15 पाली रोड श्योपुर- 476337 (म.प्र.) को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्तों) पर अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (विभागाध्यक्ष पद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जा रही है। परीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र-उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवार्थें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जावेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

Arjun...

राजमाता
सत्य प्रकाश

आदेश

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्र. सी 3-12/2013/1/3, दिनांक 29 सितम्बर 2014 एवं म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. सी 3-13/2019/3/एक, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 में निहित निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत स्व. श्री अजय कुमार पनिका, कार्यक्रम सहायक, कृषि विज्ञान केन्द्र, आगर मालवा का आकस्मिक निधन दिनांक 10.05.2021 को होने के फलस्वरूप इनकी पत्नी श्रीमती ऊषा पनिका की अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड-3 के पद पर पे बैंड रु. 5200-20200+1900 (7 वेतनमान लेवल-4 में परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।) में अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन की जाकर पदस्थापना उनकी उपस्थिति दिनांक से कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर के अधीन की जाती है।

नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबंध निम्नानुसार हैं-

1. यह नियुक्ति आदेश पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
2. उक्त शपथ-पत्र के अतिरिक्त सेवा में उपस्थिति प्रस्तुत करने के समय आपको यह शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा की पूर्व से आप शासकीय सेवा में नहीं हैं और न ही दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का कोई भी अनुकम्पा नियुक्ति के पात्र सदस्य पूर्व से किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा/निगम, मण्डल परिषद, आयोग आदि में कार्यरत नहीं है। आप दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित समस्त सदस्यों का भरण-पोषण करेंगे।
उपरोक्तानुसार उक्त बिन्दुओं का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आपकी उपस्थिति मान्य की जा सकेगी। शपथ-पत्र एवं उक्त बिन्दुओं की जानकारी न देने के अभाव में आपका अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
3. कर्तव्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सा बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों सहित पदस्थी कार्यालय में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने पर किसी अन्य पद पर नियुक्ति का निवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा और न ही अनुकम्पा नियुक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जावेगी। यह नियुक्ति आवेदक द्वारा लिखित सहमति के आधार पर दी जा रही है।
5. नियुक्ति के पश्चात चरित्र सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि वह शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है तो उसे दी गई अनुकम्पा नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जाती है कि आवेदक दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यह प्रमाणित हो जावेगा कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जावेगी।
7. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है जो किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता जमा कराने पर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं, तो यह समझा जावेगा कि इन्होंने इस अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हें एक माह का या नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम हो, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्ता का भुगतान करना होगा।
8. अनुकम्पा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदाय की जा रही है कि चयनित अविवाहित व्यक्ति द्वारा निर्धारित आयु के बाद ही विवाह किया है। यदि यह पाया गया कि संबंधित चयनित व्यक्ति द्वारा न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया गया हो तो उसका/उसकी अनुकम्पा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
9. कोई भी चयनित उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी कोई स्त्री पदाभिलाषी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी की एक पत्नी पूर्व से जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के अपराध के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा तथा उसकी अनुकम्पा नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
11. उम्मीदवार को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्तें म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किये जा चुके हैं अथवा जारी किये जावेंगे।


कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)
क्र./कु.स./स्था.2/2015/1031
ग्वालियर, दिनांक 03/07/2015

// आदेश //

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से श्री वीर नारायण राणा, वाहन चालक सह मैकेनिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार (भिण्ड) का कार्यालय कृषि प्रक्षेत्र, बागवई में ट्रेक्टर चालक के रूप में कार्य करने के लिये किये गये आदेश क्र./कु.स./स्था./2013/2101-02, दिनांक 30.09.13 को निरस्त किया जाकर, श्री राणा को स्वयं के व्यय पर समान पद एवं वेतनमान पर कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार (भिण्ड) से कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर में स्थानान्तरण कर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार


कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था.2/2015/1032
प्रतिलिपि-सूचनार्थ

ग्वालियर, दिनांक 03/07/2015

1. निदेशक विस्तार सेवायें रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
3. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
4. कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार (भिण्ड)।
5. प्रभारी प्रक्षेत्र बागवई जिला ग्वालियर।
6. आहरण समवितरण अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार (भिण्ड) / कार्यालय अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय ग्वालियर।
7. उप कुलसचिव (स्थापना), रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
8. श्री वीर नारायण राणा, वाहन चालक सह मैकेनिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, लहार (भिण्ड) की ओर पालनार्थ।
9. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
10. व्यक्तिगत / सुरक्षा नस्ती।


कुलसचिव

एन
6.7.15

// आदेश //

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत पद कोड-53 शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) पद पर सीधी भर्ती हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन भोपाल म0प्र0 द्वारा, समूह-4 के अंतर्गत प्राप्त प्रावीण्य सूची अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित दस्तावेज सत्यापन समिति की अनुशंसा एवं कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त श्री विकास मडावी S/o श्री शिवराम, वार्ड नं. 18 पोस्ट बोरी तहसील लालबर्वा, लालबर्वा-481441 (म.प्र.) को शीघ्रलेखक श्रेणी-3 (हिन्दी) के पद पर वेतनमान रु 5200-20200 + ग्रैंड पे 2800 (पुनरीक्षित सातवें वेतनमान लेवल-7 में मूल वेतन रु 28700 + विश्वविद्यालय नियमानुसार भत्ते) पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत चयन किया जाकर पद पर उपस्थित होने की दिनांक से अस्थाई रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर (विभागाध्यक्ष पद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है:-

2. नियुक्ति की शर्त एवं नियम निम्नानुसार होंगी -

1. यह नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धियाँ भी स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-सी-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवंबर 2012 के तहत नियुक्त अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा रहे हैं, अतः इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी शपथ पत्र उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नव नियुक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन शासकीय संदर्भों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जायेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जायेगी।
3. आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
4. नियुक्त अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनकी शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था का मूल प्रमाणपत्र, मूल अंकसूचियाँ, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाणपत्र, म0प्र0 मूल निवासी प्रमाणपत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, संबंधित अधिकारी द्वारा सभी प्रमाण-पत्रों की जांच मूल दस्तावेजों के आधार पर पदस्थापना स्थल पर की जावेगी। यदि प्रमाण-पत्रों में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व इसकी जानकारी नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् कुलसचिव राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को दी जाकर उनसे परामर्श प्राप्त किया जायेगा एवं प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही नहीं पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को शासकीय सेवा ग्रहण करने के दिनांक से वे सभी शर्त म0प्र0 सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 एवं शासनादेश मान्य होंगे जो समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जा चुके हैं अथवा जारी किए जायेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया हो।

(Handwritten Signature)



एम.आर.जाटव
कुलसचिव

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

146

Ph.: 0751-2467066 (O) 0751-2467066 (Fax)

E-mail- registrar.rvskvv09@gmail.com


क्र./कु.स./स्था./2015/2174

दिनांक: 06/10/2015

// आदेश //

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/कु.स./स्था./2015/2172. दिनांक 06.10.2015 के द्वारा श्री विशाल कुशवाह, भृत्य, कार्यालय, कुलसचिव, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर को कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर स्थानांतरण किया गया है। अतः आज दिनांक 06.10.2015 को अपरान्ह श्री विशाल सिंह कुशवाह को भारमुक्त किया जाता है।

श्री विशाल कुशवाह को आदेशित किया जाता है कि वह अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर को अपना उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।



(एम.आर.जाटव)
कुलसचिव

पृष्ठा. क्र./कु.स./स्था./2015/2175

दिनांक: 06/10/2015

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
2. अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
3. श्री विशाल सिंह कुशवाह, भृत्य, कार्यालय कुलसचिव, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
4. निज सचिव माननीय कुलपतिजी के, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर।


कुलसचिव

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHWA VIDYALAYA
JABALPUR

No. Estt. II/ 965 /

Dated: 25th March, 1988.

ORDER

On the recommendations of the Selection Committee, the following candidates are appointed, temporarily, until further orders to the post of Technical Assistant (Plant Breeding & Genetics) in scale of pay Rs. 1500-40-1620-50-2320-60-2680/- and posted at the place shown against each.

S.No.	Name	Place of Posting
1-	Sri Sanjay Kumar Katiyar	- Breeder Seed Production Deptt. of Plant Breeding & Genetics, Jabalpur.
2-	Sri Satya Prakash Yadav	- Dryland Project, Rewa.
3-	Sri Satish Varulkar	- AICRP on Potato, Chhindwara.
4-	Sri Devendra Kumar Shrivastava	- AICRP on Wheat, Indore.
5-	Sri Dinesh Awasthi	- AICRP on Oilseed, Morena.
6-	Sri Manoj Kumar Shrivastava	- AICRP on Soybean, Jabalpur.
7-	Sri Mukesh Kumar Saxena	- AICRP on Cotton, Indore.
8-	Sri Mohd. Yasin	- AICRP on Millets, Rewa.
9-	Sri Yashwant Indrapurkar	- AICRP on Millets, Gwalior.
10-	Sri Anil Pratap Singh	- AICRP on Sugarcane, Sehore.
11-	Sri Raj Bahadur Yadav	- M&AP Project, Indore.
12-	Sri Ram Prakash Joshi	- AIC Barley Improvement Project, Rewa.
13-	Sri Hem Chand Nanda	- Sesamum & Niger Project, Jabalpur.
14-	Sri Sudhanshu Jain	- AICRP on Cotton, Badnawar.
15-	Sri Prakash Chandra Upadhyaya	- AICRP on Oilseeds, Chhindwara.
16-	Sri Anil Kumar Mishra	- AICRP on Oilseeds, Tikamgarh.

2. The appointment shall be effective from the date they take over charge of the post.

3. The appointment is further on the terms and conditions as enclosed.

By order of the Vice-Chancellor

(V.P. Shrivastava)
REGISTRAR

25/3/88

क्र. सं. सं. / (1) / 07 /

// आदेश //

श्री योगेश कुमार सिंह आत्मज श्री नत्थी लाल कुशवाहा को घयन शक्ति की अनुश्रानुसार प्रखेत्र विस्तार अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 4000-1100-6000/- पर अनारक्षित श्रेणी को अंतर्गत अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक महाविद्यालय, ग्वालियर में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है।

नियुक्ति की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार होंगी :-

- (अ) आदेशक द्वारा आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र जाँचोपरांत गलत या असत्य पाये जाने पर यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- (ब) इस आदेश की प्रसारित होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति दें, अन्यथा यह आदेश बिना सूचना के स्वयं निरस्त माना जावेगा।
- (स) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जा रही है। दो वर्ष की परीक्षा अवधि समाप्त पर कार्य के मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर नियुक्ति नियमित की जा सकेगी तथा तत्पश्चात् ही आगामी वेतनवृद्धि की पात्रता होगी। परीक्षा काल अवधि में प्रखेत्र विस्तार अधिकारी के पद का न्यूनतम वेतनमान देय होगा।
- (द) यह नियुक्ति पूर्ण अस्थाई है तथा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या इसके बदले एक माह के वेतन जमा करने पर समाप्त की जा सकती है यह शर्त दोनों पक्षों को प्रभावशील रहेगी।
- (इ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने के समय तत्संबंधित सक्षम अधिकारी को अर्हता संबंधित मूल: दस्तावेज, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आरक्षित श्रेणी का वैध जाति प्रमाण-पत्र, म.प्र. मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं विकलांग प्रमाण-पत्र तथा जन्मतिथि सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (क) उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह की समयावधि में विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिले के सिविल सर्जन द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसका वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। यदि उम्मीदवार शारीरिक अथवा मानसिक रूप अक्षम पाया जाता है तो उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जावेगी।
- (ख) उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कराया जावेगा। यदि चरित्र संबंधी प्रतिकूल टीप प्राप्त होती है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना किसी सूचना के समाप्त की जावेगी।
- (ग) उम्मीदवार को भारत एवं विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा (Oath of allegiance) की शपथ लेनी होगी।
- (घ) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के अंदर वि.वि. द्वारा देय नियत मासिक चिकित्सा नत्ता प्राप्त करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे चिकित्सा क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जावेगी।
- (च) उक्त नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम के विद्यमान नियमों एवं सेवा शर्तों तथा समय-समय पर इसमें होने वाले संशोधन के अधीन होगी।
- (छ) उपरोक्त पद पर नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा घोषित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रभावशील होगी।
- (ज) उम्मीदवार की सेवायें विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली किसी भी ईकाई/योजना में स्थानांतरित की जा सकेगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनु.जातियों, अनु.जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (कमांक-21 सन् 1994) के उपबंधों और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है, तथा उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान कर लिया है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार,

सही
कुलसचिव

दिनांक 07/07/2007

पृष्ठा. क्रमांक सं. सं. / 07 / 10 / 10 / 44
प्रतिनिधि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित :-

1. संचालक अनुसंधान सेवार्थ, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर। कृपया श्री योगेश कुमार सिंह का वेतन बजट शीर्ष C-1-3 Regional Research Station, Gwalior में उपलब्ध प्रखेत्र विस्तार अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करें एवं नियुक्ति शर्तों के अनुसार सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों की जाँच अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. सहायक लेखानियंत्रक भविष्य तिथि/ बजट एवं वित्त/पेंशन/ गोपनीय, ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. सहायक कुलसचिव (सामान्य), ज.ने.कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. संबंधित घांति श्री योगेश कुमार सिंह आत्मज श्री नत्थी लाल कुशवाहा, O-1, लोयर्स कालोनी, बाई पास रोड, आगरा-6. (उ.प्र.)। कृपया पदभार ग्रहण करने के पूर्व यदि किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है तो उस संस्था/विभाग से कार्यभार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी।
7. व्यक्तिगत नरती/घुसवा नरती।

सहायक कुलसचिव (स्था.दी)

JAWAHARLAL NEHRU KRISHI VISHVA VIDYALAYA
JABALPUR

Mo. Estt. II/5/(173)/ 664 Dated, the 3rd April, 1997

ORDER

Shri Yogendra S/o late Shri Shanker,
Ex-Sweeper, College of Agriculture, Gwalior, is
appointed on compassionate ground as Sweeper in
the scale of pay Rs. 750-12-870-15-945/- and posted
at the College of Agriculture, Gwalior (vice late
Shri Shanker), temporarily, until further orders,
with effect from the date he reports on duty on
the terms and conditions appended.

He should report on duty at his place of
posting within 15 days from the date of issue of
this order, failing which the order will be treated
as cancelled.

By order of the Vice-Chancellor,

Saty
(A.B.Asati)
REGISTRAR

Mo. Estt. II/5/(173)/ 665 Dated, the 3rd April, 1997

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Dean, College of Agriculture, Gwalior
2. The Comptroller, JNKVV Jabalpur
3. The Asstt.Registrar(CC)/P.S. to Hon.Vice-Chancellor,
JNKVV Jabalpur
4. Shri Yogendra S/o late Shri Shanker, Ex-Sweeper,
through the Dean, College of Agriculture, Gwalior.
5. Personal file
6. Guard file/Class-IV Counter.

Encl: Terms and conditions

K. M. Pillai
Asstt.Registrar(Estt)

...

3) (Res)
Apin
Shri Yogendra
1/5/97
11/1/97